2.1

प्रपत्र– 11

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में रावतसेरा–डोबरगड़ा धारी मध्या–रैंतोली मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1154/ 111–(2)/ 14–58(प्रा0आ0) /13 दिनांक 22.02.2014 द्वारा जनपद बागेश्वर के विधान सभा कपकोट में कांडा–सानिउडियार मोटर मार्ग के स्थान रावतसेरा–डोबरगड़ा–धारी मध्या मोटर मार्ग लम्बाई 5 कि0मी0 (प्रथम चरण) हेतु रू0 0.10 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार से वन भूमि स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

जनपद बागेश्वर में विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत सीमान्त गांव धारी आवादी (143) धतियाढूँगा (61) मध्या (40) एवं रैतोली (183) अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़े हैं। जनपद बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ के इन सीमान्त गांवों को यातायात एवं परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया है। सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग की कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0 आती है। उपरोक्त सीमान्त ग्राम वन क्षेत्र के निकट बसे है और दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए वनों पर आधारित रहते है। इस मोटर मार्ग का निर्माण हो जाने से उपरोक्त ग्रामों की कुल 427 स्थानीय जनता को यातायात एवं परिवहन सुविधा के साथ ही गैस प्राप्त करने में सुविधा होगी जिससे जंगलों को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इन ग्राामों का मुख्य बाजार, व्यावसायिक केन्द्र, शैक्षणिक संस्थान, बैंक एवं पोस्ट आफिस से सम्बन्धित महत्वपूर्ण संस्थान न्याय पंचायत केंन्द्र रावतसेरा में हैं। यातायात की सुविधा न होने से स्थानीय जनता को इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता हैं। दूरस्थ में होने एवं यातायात की असुविधा के कारण अधिकारी–कर्मचारी इन क्षेत्रों में सेवायें देना नहीं चाहते हैं जिससे सरकार की नीतियां कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाती। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने सीमान्त क्षेत्र की जनता को परिवहन एवं यातायात की सुविधा के सथ ही अतिमहत्वपूर्ण 108 सेवा का लाभ मिल सकेगा जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि जनपद बागेश्वर में लगभग 71 प्रतिशत भू–भाग वनाछादित है। जनहित में बुनियादी ढांचे के विकास, वनों की सुरक्षा, पहाड़ी क्षेत्र से पलायन को रोकने एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हेतु वन भूमि के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण बांसपटान–रावतसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से प्रस्तावित किया गया है। इसके अनुसार संरेखण में वन पंचायत, सिविल सोयम भूमि एवं 900 मीटर में आरक्षित वन भूमि के अलावा नाप भूमि प्रभावित हो रही है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। केवल 5 बैन्ड आते हैं एवं वृक्ष कम प्रभावित होते हैं। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण बांसपटान–रावतसेरा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 है0मी0 से प्रस्तावित किया गया है जिसमें 7 बैन्ड आते हैं एवं आरक्षित वन भूमि तथा वृक्ष अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। ग्रामीण मोटर मार्ग होने एवं कम से कम वन भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए हस्तान्तरण हेतु भूमि की चौड़ाई 7 मीटर प्रस्तावित की गयी है। मोटर मार्ग निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे में से अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु आवश्यक भूमि का प्रविधान अलग से लैन्ड शैड्यूल में किया गया हैं। अतः 5.00 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 2.425 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 92 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर